भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4723
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन के लिए प्वाइंट ऑफ कॉल स्थिति

4723. श्री दुरई वाइको:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों (बीएएसए) में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य और दक्षिणी तमिलनाडु से खाड़ी क्षेत्र की यात्रा करने वाले कामगारों और निवासियों के लिए तिरुचिरापल्ली एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्तमान में जीसीसी देशों के साथ प्रभावी बीएएसए की संख्या कितनी है और प्रत्येक समझौते के अंतर्गत पॉइंट ऑफ कॉल के रूप में नामित भारतीय विमानपत्तन कितने हैं;
(घ) क्या सरकार का मौजूदा बीएएसए में संशोधन करने अथवा सीधे संपर्क में सुधार लाने और अन्य महानगरीय विमानपत्तनों पर निर्भरता कम करने के लिए तिरुचिरापल्ली को पीओसी के रूप में निर्दिष्ट करते हुए नए बीएएसए पर वार्ता करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भावी द्विपक्षीय विमानन वार्ताओं में तिरुचिरापल्ली को पीओसी के रूप में शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों (बीएएसए) में तिरुचिरापल्ली को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में, एअर इंडिया तिरुचिरापल्ली से खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों नामतः कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (अबू धाबी, शारजाह और दुबई) के लिए उड़ानें परिचालित कर रही है।

भारत के सभी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (बीएएसए) विद्यमान हैं। इन समझौतों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्वाइंट ऑफ कॉल का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

वर्तमान में, भारत सरकार तिरुचिरापल्ली सहित गैर-मेट्रो प्वाइंट से भारतीय विमानन कम्पनियों द्वारा सीधे या अपने घरेलू परिचालन के माध्यम से अधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, गैर-मेट्रो प्वाइंट को किसी भी अन्य देश के लिए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते में नए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अनुलग्नक

क्र. सं.	**देश**	**विदेशी वाहकों के लिए निर्दिष्ट प्वाइंट ऑफ कॉल**
1	बहरीन	मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कोचीन, बैंगलोर, हैदराबाद, कालीकट, गोवा
2	कुवैत	मुंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कोचीन, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर

3	ओमान	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, जयपुर, बैंगलोर, कालीकट, गोवा
4	कतर	मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, कालीकट, गोवा, अमृतसर, बैंगलोर
5	सऊदी अरब	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, बैंगलोर, कालीकट, लखनऊ
6 (i)	यूएई-अबू धाबी	मुंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, कालीकट, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद
6 (ii)	यूएई-दुबई	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, अहमदाबाद, कालीकट, लखनऊ
6 (iii)	यूएई-रस-अल-खैमाह	कोचीन, त्रिवेंद्रम, कालीकट में से कोई भी 1 प्वाइंट
6 (iv)	यूएई-शारजाह	मुंबई, नागपुर, कोचीन, जयपुर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोयंबटूर, दिल्ली, कालीकट, हैदराबाद, गोवा

******